

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
आदेशांक—वा०क०अधि०/पूर्ण पीठ/ /2023, दिनांक:—अगस्त ०५ ,2023.

—:: आदेश ::—

उत्तर प्रदेश वैट नियमावली—2008 के नियम 64(3) में निहित शक्तियों के अधीन पूर्ण पीठ से सम्बन्धित वादों के निस्तारण हेतु मुख्यालय पर दिनांक 13—०९—२०२३ एवं 14—०९—२०२३ को पूर्णपीठ का गठन किया जाता है।

उक्त गठित पूर्ण पीठ में मेरे अतिरिक्त श्री राजीव रंजन, एच०ज०एस०, सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ—प्रथम, इलाहाबाद एवं श्री विजय कुमार मिश्रा, सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ—३ लखनऊ सम्मिलित होंगे।

तदनुसार सम्बन्धित अधिकारियों को सूचित किया जाये।

ह०—०४—०८—२०२३,

(रणधीर सिंह)

एच०ज०एस०,
अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन — वा०क०अधि०/पूर्णपीठ/९५५/2023, दिनांक: यथोक्त।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

- 1— सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ—१, इलाहाबाद व पीठ—२ एवं ३, लखनऊ।
- 2— मुन्सरिम/पेशकार/वरिष्ठ सहायक (यात्रा भत्ता/विवरण/कम्प्यूटर), नाजिर मुख्यालय।
- 3— कमिशनर, वाणिज्यकर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 4— आदेश की अनुरक्षण पत्रावली हेतु।

आज्ञा से,


(तरुण कुमार)
निबन्धक, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।